

ससी एन्टरप्रइजेज

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

(अपराधिक अपील संख्या 61/2007)

30 जनवरी, 2014

[न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी]

आयकर अधिनियम, 1961

धारा 139 और 276 गग- आयकर रिटर्न- पेश न करना- अभियोजन- अभिनिर्धारित- धारा 139 जैसा कि प्रासंगिक समय पर था, यह बताता है कि नियत दिनांक से पूर्व निर्धारिती की ओर से रिटर्न पेश करना आज्ञापक है।

धारा 144 सपठित धारा 139 और 276 सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन- रिटर्न पेश करने के लिए निर्धारिती के दायित्व पर प्रभाव- अभिनिर्धारित- फर्म को स्वतंत्र रूप से रिटर्न पेश करने की आवश्यकता होती है और केवल इस कारण कि धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन किया गया है, धारा 139(1) के अनुसार रिटर्न पेश करने के लिए फर्म के दायित्व को समाप्त नहीं करेगा।

धारा 276 गग सपठित धारा 142 और 148- अभिनिर्धारित: धारा 276 गग के अंतर्गत अपराध धारा 139(1) के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होने या धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस का जवाब उसमें विनिर्दिष्ट समय सीमा में देने में विफल होने पर लागू होता है।

धारा 276 गग -अभियोजन- अपील का लम्बित होना- उसका प्रभाव- अभिनिर्धारित- अपीलीय कार्यवाहियों के लम्बित होना, अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन प्रारम्भ करने के लिए प्रासंगिक कारक होना नहीं कहा जा सकता है- संविधि का निर्वाचन।

धारा 278 ड- रिटर्न पेश न करना- उपधारणा- अभिनिर्धारित: न्यायालय को अपराध जैसे धारा 276 गग के अभियोजन में दुराशय के अस्तित्व की उपधारणा करना है और अभियुक्त को उसके विपरीत तथा संदेह से परे भी साबित करना है- अपीलकर्ताओंको उन परिस्थितियों को साबित करना है, जिसने उन्हें धारा 139(1) के अनुसार रिटर्न पेश करने या धारा 142 और 148 के अंतर्गत नोटिस का जवाब देने से रोका।

अपराधिक अपील संख्या 61/2007 में अपीलकर्ता एक रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म है और उसके भागीदारान अपराधिक अपील 62 और 63 में अपीलकर्तागण हैं, जो क 2 और क 3 के नाम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 276 गग के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित किए

गए थे, क्योंकि उन्होंने निर्धारण वर्ष 1991-92 और 1992-93 का फर्म का रिटर्न तथा निर्धारण वर्ष 1993-94 का अपनी व्यक्तिगत हैसियत में रिटर्न पेश नहीं किया था। अपीलकर्ताओं ने अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 245(2) के अंतर्गत 02 उन्मोचन याचिका पेश किया, जिसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा खारिज किया गया और उनकी अपराधिक पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया।

वर्तमान अपीलों में निर्धारिती ने न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्नों को प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार थे-

"(1) क्या निर्धारिती पर अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न उसमें निर्धारित दिनांक के अंदर पेश करने का दायित्व/कर्तव्य है?

(2) अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन का क्या प्रभाव है और क्या यह अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारिती के रिटर्न पेश करने के दायित्व को समाप्त करेगा?

(3) क्या अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न पेश नहीं करना और अधिनियम की धारा 142 तथा 148 के अंतर्गत निर्धारित समय का अनुपालना नहीं करना

अधिनियम की धारा 276 गग के प्रावधानों को लागू करने का आधार है?

(4) क्या निर्धारण सम्बंधी अपीलीय कार्यवाहियों के लम्बित होने या निर्धारण कार्यवाहियों की अन्तिमता नहीं होने से रिटर्न पेश नहीं करने के कारण धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाहियों को प्रारम्भ करना वर्जित है?

(5) अधिनियम की धारा 278 ड का क्षेत्र क्या है और किस प्रक्रम पर न्यायालय के द्वारा उपधारणा किया जा सकता है? "

न्यायालय के द्वारा अपील खारिज।

अभिनिर्धारित:-

1.1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 ने प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित ढंग से आयकर रिटर्न पेश करने के लिए सांविधिक आदेश दिया है। प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम 1987, जो 01-04-1989 से प्रभावी है, के द्वारा आयकर अधिनियम में विभिन्न संशोधन किया गया, जिसके द्वारा निर्धारण अधिकारी को धारा 139(1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न को पेश करने का समय बढ़ाने और धारा 139(3)के अंतर्गत पेश करने का समय बढ़ाने की शक्ति नहीं है, नुकसानी के रिटर्न को अग्रसारित किया जाना आशयित है। धारा 139(4) के अंतर्गत विलम्ब से

रिटर्न पेश करने का समय या धारा 139(5) के अंतर्गत संशोधित रिटर्न पेश करने का समय प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से घटाकर एक वर्ष किया गया। धारा 139(2) का प्रावधान धारा 142 (1) (i) में शामिल किया गया। आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए धारा 142 (1) (i) के अंतर्गत नोटिस निर्धारण वर्ष के दौरान जारी नहीं किया जा सकता है और सम्बंधित व्यक्ति को रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का न्यूनतम समय देने की आवश्यकता नहीं है। धारा 142 (1) (i) के अंतर्गत नोटिस का अनुपालन नहीं करना धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन को आकृष्ट कर सकता है। [पैरा 16] [190-च-ज; 191-क-ग]

1.2. आयकर अधिनियम राजकोष के कारण करों से वंचित करने और बाद में कारित अपराध/उल्लंघन के लिए धारा 271(1)(क) के अंतर्गत जुर्माना तथा धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन, दोनों का प्रावधान करता है। कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 1989 के द्वारा दिनांक 01-04-1989 से धारा 271 (1)(क) के अंतर्गत जुर्माना के प्रावधान को हटा दिया गया और धारा 234 क के अंतर्गत आज्ञापक/अनिवार्य ब्याज का प्रावधान शामिल किया गया। परन्तु विधायिका ने आयकर रिटर्न के उल्लंघन या उसे पेश न करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजित करने के लिए प्रावधान को कभी भी माफ या शिथिल नहीं किया है। [पैरा 17] [191-घ-च]

1.3. अधिनियम की धारा 139 को पढ़ने से जैसा यह प्रासंगिक समय पर था, यह समझा गया कि उसमें यह कहा गया है कि निर्धारित दिनांक से पूर्व रिटर्न पेश करना निर्धारिती के लिए आज्ञापक है।

स्पष्टीकरण (क)- उक्त धारा परिभाषित करता है कि " निर्धारित दिनांक " से तात्पर्य कंपनी के मामले में कर निर्धारण वर्ष का 30 नवम्बर है। समय पर रिटर्न पेश नहीं करने के परिणाम का भी प्रावधान अधिनियम में है। [पैरा 19] [193-घ-ड]

1.4. धारा 276 गग की संवैधानिक वैधता, कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा सोनारोम केमिकल्स प्राइवेट लि. के मामले में अभिनिर्धारित किया गया। उक्त धारा ऐसे व्यक्ति को दण्ड का प्रावधान करता है, जो जानबूझकर समय से आयकर रिटर्न को प्रस्तुत करने में विफल रहता है। [पैरा 22] [195-च-छ-]

सोनारोम केमिकल्स प्राइवेट लि. व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य
(2000) 242 ITR 39(कर्नाटक)- अनुमोदित

2. अपीलकर्ताओके द्वारा रिटर्न पेश करने में विफल रहने पर आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन किया और बाद में अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन प्रारम्भ करने के लिए कारण बताओनोटिस जारी किया गया। भागीदारों के द्वारा व्यक्तिगत रिटर्न्स में घोषणा या कथन किया गया कि फर्म के खाता

को अंतिम रूप नहीं दिया है और इसलिए फर्म के द्वारा रिटर्न पेश नहीं किया गया है। इससे फर्म को अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत सांविधिक रिटर्न पेश करने से मुक्त नहीं किया जाएगा। फर्म के द्वारा स्वतंत्र रूप से रिटर्न पेश किया जाना अपेक्षित है और केवल इस कारण से कि धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन किया गया है, अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार रिटर्न पेश करने के लिए फर्म को दायित्व को समाप्त नहीं करेगा।

3.1. धारा 276 गग उन दशाओमें लागू होता है, जहां निर्धारिती अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत अपेक्षित आयकर रिटर्न पेश करने में या अधिनियम की धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत निर्धारिती को जारी नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है। धारा 276 गग का परन्तुक वास्तविक निर्धारितियों को कुछ अनुतोष देता है। धारा 276 गग, धारा 139(1), धारा 142 (1)(i) और धारा 148 को शामिल करती है। परन्तु धारा 276 गग का परन्तुक केवल अधिनियम की 139(1) को शामिल करता है। धारा 142 (1) (i) या धारा 148 का प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। परिणामस्वरूप परन्तुक का लाभ केवल अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत अपेक्षित रिटर्न को स्वैच्छिक रूप से पेश करने के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार उक्त परन्तुक रिटर्न पेश करने में विफल रहने का पता लगने या खोज के बाद और आयकर रिटर्न को पेश करने के लिए अधिनियम की धारा 142 (1)(i) या धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के बाद लागू

नहीं होगा, परन्तुक में इसलिए विफलता का पता लगने और अधिनियम की धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने से पूर्व विलम्ब से भी रिटर्न पेश करने की परिकल्पना की गई है।[पैरा 23-24] [196-ख, ग, छ, ज, 197- क-ख]

3.2. धारा 139(1) और धारा 142(1), दोनो धारा 139(4) में संदर्भित है, जो समय सीमा निर्धारित करते हैं। इसलिए अभिव्यक्ति "जो भी पहले हो" को धारा 139(1) के अंतर्गत अनुज्ञात समय या धारा 142(1) के अंतर्गत जारी नोटिस में अनुज्ञात समय के साथ, जो भी पहले हो, पढ़ना होगा। जहां तक वर्तमान मामले का सम्बंध है, निर्धारिती ने या तो धारा 139(1) के अंतर्गत अनुज्ञान समय के अंदर या धारा 142(1) के अंतर्गत जारी नोटिसों में अनुज्ञात समय के अंदर रिटर्न पेश नहीं किया है। [पैरा 25] [197-ग-घ]

प्रकाश नाथ खन्ना व अन्य बनाम आयकर आयुक्त व अन्य 2004(2) एस.सी.आर. 434=(2004) 9 एस.सी.सी. 686- पर विश्वास किया।

3.3 यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओके द्वारा रिटर्न पेश करने में कोई जानबूझकर विफलता नहीं हुई है। तथ्यों के आधार पर, इन सभी अपीलो में आयकर अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अपराध पाया गया है और उन्मोचन करने के प्रार्थनापत्र को खारिज किए

जाने में इस न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 27] [198-ख-ग]

विलिंगटन बनाम रेनाल्ड (1962) 40 टी.सी. 209- संदर्भित

4. अपीलीय कार्यवाहियों की विचाराधीनता को आयकर अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाहियों को प्रारम्भ करने के लिए प्रासंगिक कारक नहीं कहा जा सकता है। धारा 276 गग में यह माना गया है कि एक अपराध रिटर्न पेश नहीं करने पर किया जाता है और यह पूर्णतया निर्धारण कार्यवाहियों के विचाराधीन होने से सम्बंधित नहीं है। अपराध के सजा के निर्धारण के लिए अपराध के द्वितीय भाग को छोड़कर, विभाग उल्लंघन की सीमा का निर्धारण करने के लिए पिछले वर्षों के सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण का या अन्यथा सहारा ले सकता है। धारा 276 गग की परिभाषा और उससे विधायी आशय भी स्पष्ट है। यह सामान्य कानून है कि संविधि में प्रयुक्त भाषा विधायी आशय को निर्धारित करने का कारक है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय सांविधिक प्रावधान में कुछ नहीं पढ़ सकता हो, जो सामान्य तथा असंदिग्ध है। यदि विधायिका का यह आशय अपील के माध्यम से या अन्यथा निर्धारण कार्यवाहियां पूरी होने तक अभियोजन कार्यवाहियों को रोकना होता तो धारा 276 गग में ही इसका प्रावधान किया गया होता, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारण कार्यवाहियों के समाप्ति तक कोई अभियोजन प्रारम्भ नहीं किया

जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे मामले में, जहां अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार या धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिसों के अनुसरण में रिटर्न पेश नहीं किया है। [पैरा 28] [198-ग, ज; 199 क]

बी.परमानंद बनाम मोहन कोइकल 2011 (3) एस.सी.आर. 932= (2011) 4 एस.सी.सी. 266- संदर्भित।

5. धारा 278 ड में दोषपूर्ण मानसिक स्थिति की उपधारणा का प्रावधान है, जिसे कराधान विधि (संशोधन और विविध प्रावधान) 1986 के द्वारा सम्मिलित किया गया। न्यायालय को अपराध, जैसे धारा 276 गग के अभियोजन में दुराशय के अस्तित्व की उपधारणा करना है और अभियुक्त को इसके विपरीत तथा उसे संदेह से परे भी साबित करना है। परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को उन परिस्थितियों को साबित करना है, जहाँ उन्हें धारा 139(1) के अनुसार रिटर्न पेश करने या अधिनियम की धारा 142 और 149 के अंतर्गत व नोटिसों का जवाब देने से रोका हो। [पैरा 30] [199- घ. ड, च]

6. इसलिए उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अपराधिक न्यायालय को विचारण शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया जाता है। [पैरा 31] [199-छ; ज]

संपत्ति कर आयुक्त गुजरात बनाम विमलाबेन वाडीलाल मेहता (श्रीमती), 1984(1) एस.सी.आर 480=(1983) 4 एस.सी.सी.692, संपत्ति कर आयुक्त गुजरात, अहमदाबाद बनाम वाडीलाल लल्लू भाई व अन्य, 1984 (1) एस.सी.आर 485=(1983) 4 एस.सी.सी.697 और हिमांचल प्रदेश राज्य व अन्य बनाम गुजरात अम्बूजा सीमेन्ट लि. व अन्य 2005(1) सप्लीमेन्ट्री एस.सी.आर 484=(2005) 6 एस.सी.सी.499, प्रकाशनाथ खन्ना व अन्य बनाम आयकर आयुक्त व अन्य 2004 (2) एस.सी.आर. 234=(2004) 9 एस.सी.सी.689, मायारानी कुंज (श्रीमती) बनाम आयकर आयुक्त दिल्ली, 1985(3) सप्लीमेन्ट्री एस.सी.आर 827=(1986) 1 एस.सी.सी.445, पी.आर.मेतरानी बनाम आयकर आयुक्त बेंगलोर 2006 (9) सप्लीमेन्ट्री एस.सी.आर 1 =(2007) 1 एस.सी.सी.789, कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कारपेट्स 2008(17) एस.सी.आर 572=(2009) 2 एस.सी.सी.513, रविन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1975(3)एस.सी.आर 453=(1975) 3 एस.सी.सी.742 और स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक व अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय व अन्य 2006(2) एस.सी.आर 709=(2006) 4 एस.सी.सी.278-संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ;

1984(1) एस.सी.आर 480 उद्धृत पैरा 10

1984(1) एस.सी.आर 485 उद्धृत पैरा 10

2005(1) सप्लीमेन्ट्री एस.सी.आर 684 उद्धृत पैरा 10

2004(2) एस.सी.आर 434 पर विश्वास किया पैरा 10

1985 (3) सप्लीमेन्ट्री एस.सी.आर 827 उद्धृत पैरा 11

2006 (9) सप्लमेन्ट्री एस.सी.आर 1 उद्धृत पैरा 12

2008(17) एस.सी.आर 572 उद्धृत पैरा 12

1975(3) एस.सी.आर 453 उद्धृत पैरा 12

2006 (2) एस.सी.आर 709 उद्धृत पैरा 12

(2000) 242 आई.टी.आर. 39 (कर्नाटक) अनुमोदित पैरा 22

2011(3) एस.सी.आर 932 संदर्भित पैरा 28

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: अपराधिक अपील संख्या 61/2007.

आर.सी. संख्या 782 और 784/2006 में मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 02-12-2016 से,

के साथ

अपराधिक अपील संख्या 62/2007,

अपराधिक अपील संख्या 63/2007,

अपराधिक अपील संख्या 64/2007,

श्री शेखर नाफड़े, गौरव अग्रवाल, सैन्थिल, मेहा अग्रवाल, वरूण टण्डन, सुब्रमण्यम प्रसाद, प्रणव कुमार, मलिक - अपीलकर्ता की ओर से

श्री सिद्धार्थ लूथरा, ए.एस.जी., के राधाकृष्णन, के.रामास्वामी, डब्ल्यू.ए.कादरी, अरिजीत प्रसाद, रजत माथुर, गार्गी खन्ना, राहुल कौशिक, प्रणय अग्रवाल, बी.वी.बलरामदास, अजय बंसल, राकेश कुमार, ए.ए.चौधरी, राजीव कुमार, धीरज गुप्ता- प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था द्वारा

न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन-

1. हमारा 2007 की 04 अपराधिक अपील संख्या 61 से 64 से सम्बंध है, जिसमें से 02 अपराधिक अपील संख्या 61/2007 और 63/2007 मेसर्स ससी एन्टरप्राइजेज एक पंजीकृत भागीदारी फर्म से सम्बंधित है, जिनमें सुश्री जे.जयललिता और श्रीमती एन.शशिकला भागीदार हैं, जो क्रमशः निर्धारण वर्ष 1991-92 और 1992-93 से सम्बंधित हैं। अपराधिक अपील संख्या 62/2007 और 63/2007 निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए क्रमशः जे.जयललिता एवं एन.शशिकला से सम्बंधित हैं। इन अपीलों को उदय करने वाली कार्यवाही सहायक आयकर आयुक्त, चेन्नई द्वारा अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (एग्मोर), चेन्नई के समक्ष पेश परिवाद से उद्भूत हुई, जो निर्धारण वर्ष 1991-92, 1992-93 के लिए रिटर्न पेश करने में जानबूझकर विफलता के लिए थी और इसलिए आयकर अधिनियम 1961

(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 276 गग के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 279

(1) के अन्तर्गत आयकर आयुक्त सेन्ट्रल II, चेन्नई से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद परिवाद दिनांक 21-08-1997 को पेश किया गया था। अपीलकर्ताओं ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 245

(2) के अन्तर्गत 2 उन्मोचन याचिकायें पेश किया, जिसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 14-06-2006 के द्वारा खारिज किया गया। अपीलकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपराधिक आर.सी संख्या 781 से 786/2006 पेश किया, जिसे उच्च न्यायालय के सामान्य आदेश दिनांक 02-12-2006 के द्वारा खारिज किया गया जो इन अपीलों की विषयवस्तु है।

2. मेसर्स ससीकला एन्टरप्राइजेज का गठन एक विलेख दिनांक 06-02-1989 के द्वारा एक भागीदारी फर्म के रूप में किया गया था, जिसमें एन. शशिकला और टी.वी दिवाकरन उसके भागीदार थे जिसे बाद में 04-05-1990 से भागीदार के रूप में जे.जयललिता और एन. शशिकला के साथ पुनर्गठित किया गया था। भागीदारी फर्म ने 2 ईकाइयों मेसर्स फैंक्स यूनिवर्सल और मेसर्स जे.एस. प्लान प्रिन्टर्स के नाम से कारोबार किया जिसमें अन्य बातों के अलावा सभी प्रकार की मोटर कारों को चलाने, वाहनों और सामानों का कारोबार आदि शामिल था। मुख्य महानगर

मजिस्ट्रेट, एग्मोर के समक्ष परिवाद ई.ओ.सी न. 202/1997 में मेसर्स ससी एन्टरप्राइजेज को प्रथम अभियुक्त (क-1) के रूप में, जे.जयललिता और एन. शशिकला को क्रमशः क-2 और क-3 के रूप में दर्शित किया गया था, जिन्हें प्रश्नगत निर्धारण वर्षों के दौरान फर्म के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार बताया गया था और उन्हें फर्म की सभी गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदार बनाया गया था। भागीदारी विलेख दिनांक 14-05-1990 में ही यह कहा गया है कि भागीदार क-2 और क-3 बैंक खातों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी और सशक्त हैं, उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में फर्म के प्रबन्धन में, फर्म के व्यवसाय के लिए धन वितरण करने स्टाफ, चौकीदार आदि की नियुक्ति करने और आयकर, बिक्री और उच्च प्राधिकारियों के समक्ष फर्म का प्रतिनिधित्व करने में पूर्ण और समान अधिकार हैं।

3. फर्म मेसर्स ससी एन्टरप्राइजेज ने निर्धारण वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए कोई रिटर्न पेश नहीं किया जिसके लिए फर्म और उसके भागीदारों को अधिनियम की धारा 276 गग के अन्तर्गत अभियोजित किया जा रहा है। जे.जयललिता और एन.शशिकला ने निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए रिटर्न पेश नहीं किया और इसलिए उनको उस उल्लंघन के लिए (उनकी व्यक्तिगत क्षमता में) अलग से अभियोजित किया जा रहा है न कि निर्धारण वर्ष 1991-92 या 1992-93 के लिए। उनके द्वारा रिटर्न निर्धारण

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए व्यक्तिगत निर्धारिती के रूप में पेश किया गया है। यद्यपि विलम्ब से क्रमशः 20-11-1994 और 23-02-1994 को पेश किया गया है। उन रिटर्न्स में यह उल्लेख किया गया कि फर्म के खातों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और फर्म का कोई रिटर्न पेश नहीं किया गया था।

4. सहायक आयकर आयुक्त ने अपने परिवाद में कहा कि फर्म को अपने भागीदारों के माध्यम से निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत 31 अगस्त 1991 को या उससे पहले अपना रिटर्न पेश करना चाहिए था। निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए 31 अगस्त 1992 को या उससे पहले और क-2 को भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भी 31-08-1993 को या उससे पहले धारा 139 (1) के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के लिए अपना रिटर्न पेश करना चाहिए था और क-3 को भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अधिनियम की धारा 139 (1) के अनुसार निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए अपना रिटर्न 31 अगस्त 1993 को या उससे पहले पेश करना चाहिए था। यह बताया गया कि अभियुक्तगण ने सम्बंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले भी अपना रिटर्न पेश करने का कष्ट नहीं उठाया, न ही उन्होंने अधिनियम की धारा 139 (4) के अन्तर्गत निर्धारित बाहरी वैधानिक सीमा पर कोई रिटर्न पेश किया था, जैसे निर्धारण वर्ष के मार्च के अन्त में। यह भी बताया गया कि 25-08-1992 को धारा 133 क के अन्तर्गत फर्म के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया गया था और उसके बाद

15-02-1994 को भागीदारी फर्म को प्रश्नगत वर्षों के लिए आयकर रिटर्न पेश करने के लिए धारा 148 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया गया था। यद्यपि नोटिस 16-02-1994 को दिया गया था लेकिन नोटिस में दिए गए समय के भीतर कोई रिटर्न पेश नहीं किया गया था। न तो रिटर्न पेश किया गया और न ही आय का ब्याज दिया गया। निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए यह कहा गया कि पूर्व निर्धारण नोटिस 18-12-1995 को दिया गया था। धारा 142(1)(ii) के अंतर्गत अवसर देने का नोटिस भी 20-07-1995 को जारी किया गया था। विभाग ने निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए धारा 144 के अन्तर्गत 08-02-1996 को 5,84,860 रुपये की कुल आय पर सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन किया और कर 3,02,434 रुपये निर्धारित किया गया और दिनांक 08-02-1996 को देय कर एवं ब्याज के रूप में 9,95,388 रुपये का डिमान्ड नोटिस दिया गया।

5. निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए धारा 144 के अन्तर्गत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन 09-02-1996 को फर्म पर 14,87,930 रुपये की कुल आय पर किया गया था और कर 8,08,153 रुपये निर्धारित किया गया था। देय कर एवं ब्याज के लिए एक डिमान्ड नोटिस जारी किया गया था।

6. जहां तक क-2 का सम्बन्ध है हम बता सकते हैं कि निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार आयकर रिटर्न पेश करने की नियत तारीख 31-08-1993 थी। 18-01-1994 को

आय के रिटर्न के लिए क-2 को धारा 142(1)(i) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस उन्हें 19-01-1994 को दिया गया था। 10-02-1994, 22-08-1994 और 23-08-1995 को स्मरणक जारी किए गए थे। 31-03-1995 से पहले और धारा 139(4) के अन्तर्गत अपेक्षित कोई रिटर्न पेश नहीं किया गया था। विभाग ने 31-07-1995 को धारा 142(1)(ii) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर निर्धारण पूरा करने के लिए आय का विवरण और अन्य विवरण मांगा, न तो आय का रिटर्न पेश किया गया और न ही आय का ब्यौरा दिया गया। धारा 144 के अन्तर्गत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन 09-02-1996 को कुल आय 1,04,49,153 रुपये पर किया गया था और कर 46,68,676 रुपये निर्धारित किया गया था और 5,23,756 रुपये के प्री-पेड टैक्स को समायोजित करने के बाद 9698801 रुपये की मांग 55,53,882 रुपये का ब्याज शामिल करते हुए किया गया। इसके बाद विभाग ने 14-06-1996 को धारा 276 ग ग के अन्तर्गत अभियोजन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाद में आयकर आयुक्त द्वारा 03-10-1996 को अभियोजन की स्वीकृति दी गयी थी।

7. क-3 भी निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख अर्थात् 31-08-1993 से पहले आप का रिटर्न पेश करने में विफल रहा। धारा 142(1)(i) के अन्तर्गत क-3 को 08-11-1995 को आय रिटर्न पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा 21-07-1995 को धारा 142(1)(ii) के अन्तर्गत एक नोटिस भी

जारी किया गया जिसमें निर्धारण पूरा करने के लिए आप का विवरण और अन्य विवरण मांगे गये थे। न तो आय का रिटर्न पेश किया गया था न ही आय कर ब्यौरा दिया गया। धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन 08-02-1996 को 70,28,110 रुपये की कुल आय पर किया गया था और कर 26,86,445 रुपये निर्धारित किया गया था। देय ब्याज सहित कुल देय कर 7119527 रुपये था। अपीलीय आदेश को प्रभावी करने के बाद कुल आय को 19,25,000 रुपये संशोधित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगाये गये ब्याज सहित 20,23,279 रुपये की कर मांग हुई। बाद में 07-08-1996 को क-3 को धारा 276 ग ग के अन्तर्गत अभियोजन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। क-3 ने 24-11-1996 और 24-03-1997 को जवाब पेश किया। आयकर आयुक्त ने 04-08-1997 को अभियोजन की स्वीकृति दे दी।

8. हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं, जहां तक फर्म का सम्बन्ध है, अन्तिम कर दायित्व आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (बी. बेंच) चेन्नई के आदेश दिनांक 01-09-2006 को प्रभावी करने पर निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए प्री-पेड टैक्स को क्रेडिट करने के बाद 32,63,482 रुपये निर्धारित की गई थी और फर्म के लिए निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (बी. बेंच) चेन्नई के आदेश दिनांक 01-09-2006 को प्रभावी करने और प्री-पेड टैक्स को क्रेडिट करने के बाद अन्तिम कर दायित्व 52,47,594 रुपये निर्धारित की गई थी। जहां तक क-2 का प्रश्न

है, निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए अन्तिम कर दायित्व 12,54,395 रुपये निर्धारित की गई थी, जो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (बी. बेंच) चेन्नई के आदेश दिनांक 11-10-2008 को प्रभावी करने तथा प्री-पेड टैक्स को क्रेडिट करने के बाद की गई। जहां तक क-3 का सम्बन्ध है, निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (बी.बेंच) चेन्नई के आदेश दिनांक 14-09-2004 को प्रभावी करने पर प्री-पेड टैक्स को क्रेडिट करने के बाद अंतिम कर दायित्व 9,81,870 रुपये निर्धारित की गई थी।

9. हमने पहले उल्लेख किया है कि, रिटर्न पेश न करने और विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन प्रारम्भ किया गया था और परिवाद 21-08-1997 को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, के समक्ष पेश किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के द्वारा जारी रखने की अनुमति दिया गया।

10. अपीलकर्ताओंकी ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर नफाड़े ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 276 गग के क्षेत्र को समझ नहीं पाया, उन्होंने बताया कि एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि परिवाद की तारीख अर्थात् 21-08-1997 को निर्धारण अंतिम रूप नहीं ले पाया था तो परिवाद की तारीख के

अनुसार परिवाद समय से पहले पेश हो गया था और कोई अपराध नहीं हुआ था तथा अधिनियम की धारा 276 के अंतर्गत अपराध के सभी घटक पूरे नहीं थे। उन्होंने बताया कि जब तक यह दर्शित नहीं किया जाता है कि रिटर्न पेश करने में विफलता जानबूझकर की गई थी तब तक धारा 276 गग के अंतर्गत कोई अभियोजन प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वास्तव में दूसरे अभियुक्त ने अपने व्यक्तिगत रिटर्न में यह बताया था कि फर्म व्यवसाय कर रही थी और उसकी कुछ आय थी और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि क-2 ने इस तथ्य को छिपाया था कि फर्म का कर दायित्व से बचने का कोई आशय था। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि निर्धारिती ने कोई अपराध किया है या नहीं, यह उचित प्राधिकारी द्वारा आय और कर दायित्व के अंतिम निर्धारण पर निर्भर करेगा, न कि निर्धारण अधिकारी के द्वारा किए गए निर्धारण पर। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने धारा 276 गग के परन्तुक पर निर्भर करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 276 गग का केवल यही निर्वचन किया जा सकता है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के द्वारा संपत्ति कर आयुक्त, गुजरात बनाम विमला बेन वाडीलाल मेहता (श्रीमती) (1983) 4 एस.सी.सी. 692, संपत्ति कर आयुक्त गुजरात, अहमदाबाद बनाम वाडीलाल लल्लू भाई व अन्य, (1983) 4 एस.सी.सी. 697 और हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य बनाम गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट लि. व अन्य (2005) 6 एस.सी.सी. 499 में पारित निर्णय प्रस्तुत किया। उन्होंने अधिनियम की

धारा 278 ड का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि जब तक निर्धारण अंतिम रूप नहीं ले लेता है तब तक धारा 276 गग पूर्ण नहीं है और धारा 278 ड के अंतर्गत उपधारणा लागू नहीं होता है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के प्रकाशनाथ खन्ना और अन्य बनाम आयकर आयुक्त व अन्य (2004) 9 एस.सी.सी. 686 के मामले में इस न्यायालय के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया है, जिसे किसी भी दृष्टि से पुनर्विचार की आवश्यकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय अधिनियम की धारा 276 गग के प्रावधान के तथ्य से सम्बंधित है, जिसमें वह कहा गया है कि यदि कर की राशि 3000 रुपये से अधिक नहीं है तो कोई अपराध नहीं है।

11. दूसरी ओर, राजस्व की ओर से उपस्थित श्री सिद्धार्थ लुथरा, भारत के अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 139 प्रत्येक व्यक्ति को नियत तारीख, जिसे सम्बंधित निर्धारण वर्ष के 31 अगस्त से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तरीके से आयकर रिटर्न पेश करने के लिए वैधानिक आदेश देती है। विद्वान ए.एस.जी. ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम 139(1) के उल्लंघन पर निर्धारिती के विरुद्ध अभियोजित करने की कार्यवाही का कारण धारा 276 गग के अन्य अवयवों के अंतर्गत उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया कि कार्यवाही में जो प्रासंगिक है, वह न केवल अधिनियम 139(1) में निर्धारित नियत तारीख है बल्कि अधिनियम की धारा 142 और धारा 148 के

अंतर्गत निर्धारित समय भी है, जिसके द्वारा आगे के अवसर दिए गए हैं कि निर्धारित समय में रिटर्न पेश करें। दूसरों शब्दों में विद्वान ए.एस.जी. के अनुसार धारा 276 गग ऐसी स्थिति में लागू होती है, जहां निर्धारिती अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत अपेक्षित आय का रिटर्न पेश करने में विफल रहा है या धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत निर्धारित को जारी किए गए नोटिस का जवाब देने में विफल रहा है। विद्वान ए.एस.जी. ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 276 गग के परन्तुक का क्षेत्र उन वास्तविक करदाताओको संरक्षित करने के लिए है जो या तो विलम्ब से लेकिन निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के भीतर अपना रिटर्न पेश करते हैं, या जिन्होंने प्री-पेड करों के द्वारा अपने कर की पर्याप्त राशि का भुगतान किया है। उन्होंने इस न्यायालय के द्वारा मायारानी पुंज (श्रीमती) बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली, (1986) 1 एस.सी.सी. 445 में दिए गए निर्णय भी प्रस्तुत किया।

12. विद्वान ए.एस.जी. ने पी.आर.मेदानी बनाम आयकर आयुक्त बंगलोर (2007) 1 एस.सी.सी. 789, कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कारपेट्स (2009) 2 एस.सी.सी. 513 प्रस्तुत करते हुए धारा 278 ड को क्षेत्र को भी स्पष्ट किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलीय कार्यवाहियों का विचाराधीन होना धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन के सम्बंध में प्रासंगिक कारक नहीं है। उन्होंने रविन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1975) 3 एस.सी.सी. और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक व अन्य बनाम

प्रवर्तन निदेशालय व अन्य (2006) 4 एस.सी.सी.278 का भी संदर्भ दिया। विद्वान ए.एस.जी ने प्रस्तुत किया कि प्रकाशनाथ खन्ना के मामले में निर्णय का पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे इस न्यायालय के साथ-साथ विद्वान उच्च न्यायालयों के द्वारा समान रूप से लागू किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अपीलकर्ता मुकदमेबाजी में लगे हुए हैं, जिसके द्वारा उन्होंने लगभग दो दशक तक कार्यवाहियों को रोक दिया है और विचारण न्यायालय ने उन्माेचन करने के प्रार्थनापत्र को सही ढंग से खारिज किया है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है और उसमें इस न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

13. हम अपने द्वारा विचार करने के लिए प्रश्नों को निर्धारित कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं-

(1) क्या निर्धारिती पर अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न उसमें निर्धारित दिनांक के अंदर पेश करने का दायित्व/कर्तव्य है?

(2) अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन का क्या प्रभाव है और क्या यह अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारिती के रिटर्न पेश करने के दायित्व को समाप्त करेगा?

(3) अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न पेश नहीं करना और अधिनियम की धारा 142 तथा 148 के अंतर्गत निर्धारित समय का

अनुपालन नहीं करना अधिनियम की धारा 276 गग के प्रावधानों को लागू करने का आधार है।

(4) क्या निर्धारण सम्बंधी अपीलीय कार्यवाहियों के लम्बित होने या निर्धारण कार्यवाहियों की अन्तिमतता नहीं होने से रिटर्न पेश नहीं करने के कारण धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाहियों को प्रारम्भ करना वर्जित है।

(5) अधिनियम की धारा 278ड का क्षेत्र क्या है और किस प्रक्रम पर न्यायालय के द्वारा उपधारण किया जा सकता है?

14. हम शुरुआत में बताना चाहते हैं कि अपीलकर्तागण पहले इस न्यायालय में पहुंचे थे और एस.एल.पी.(सी) नंबर 3655-3658/2005 पेश किए थे, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03-03-2006 के द्वारा विचारण न्यायालय को उन्मोचन याचिका को 02 माह के अंदर निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया गया। विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 14-06-2006 के द्वारा उक्त याचिकाओको खारिज किया गया। यद्यपि उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02-12-2006 के द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि किया। ये अपीलें किसी न किसी कारण से 06 वर्षों से अधिक समय तक इस न्यायालय के समक्ष लम्बित रहीं।

15. इन अपीलों में हमारा सम्बंध निर्धारण वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए अपीलकर्ताओके द्वारा रिटर्न पेश नहीं करने के

प्रश्न से है, राजस्व और न्यायालयों के द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को उच्चतर न्यायालय के समक्ष या तो अपील, पुनरीक्षण, या रिट याचिकाओं के माध्यम से लाया गया। इन अपीलों के सम्बंध में विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण राजस्व द्वारा लिखित प्रस्तुतिओं के पैराग्राफ 30 में दिया गया है, जो इन मामलों में अपनाए गए विलम्ब के तरीकों को दिखाता है। हम सावधान करते हैं कि न्यायालयों को उन व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए जो इसे सभी कानूनी प्रक्रियाओं को रोकने के माध्यम के रूप में पसंद करते हैं। हम उन मुद्दों पर अधिक गहराई से विचार करने की चेष्टा नहीं रखते हैं क्योंकि इस प्रक्रम पर हमारा सम्बंध उन प्रश्नों का उत्तर देने से है, जिसे हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है।

16. 1989-90 से पहले और उसके बाद अधिनियम की धारा 139 ने प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से आयकर रिटर्न पेश करने का वैधानिक आदेश दिया। प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम 1987 ने 01-04-1989 से आयकर अधिनियम में विभिन्न संशोधन किया जिसके द्वारा निर्धारण अधिकारी को धारा 139(1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न पेश करने के लिए समय बढ़ाने और धारा 139(3) के अंतर्गत पेश करने का समय बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है और नुकसानी के रिटर्न को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। धारा 139(4) के अंतर्गत विलम्बित रिटर्न या धारा 139(5) के अंतर्गत संशोधित रिटर्न पेश करने के लिए निर्धारित समय को प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से घटाकर 01 वर्ष कर

दिया गया था। धारा 139(2) का प्रावधान धारा 142(1)(i) में शामिल किया गया। आय कर रिटर्न पेश करने के लिए धारा 142(1)(i) के अंतर्गत नोटिस निर्धारण के दौरान ही जारी नहीं किया जा सकता है और सम्बंधित व्यक्ति को रिटर्न पेश करने के लिए न्यूनतम 30 दिनों की अवधि देने की आवश्यकता नहीं है। जब धारा 142(1)(i) के अंतर्गत नोटिस के अनुसार रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 147 का सहारा लिए बिना धारा 143 के अंतर्गत निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 271 (1)(क) को हटाने के साथ धारा 139(1) के अंतर्गत नियत समय में आप रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जुर्माना समाप्त कर दिया गया है। धारा 234 क के अंतर्गत दण्डात्मक ब्याज लगाना आज्ञापक कर दिया गया है और निर्धारण अधिकारी का ब्याज कम करने या माफ करने का विवेक समाप्त कर दिया गया। धारा 142(1)(i) के अंतर्गत नोटिस का अनुपालना नहीं करने पर धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन किया जा सकता है।

17. इसलिए आयकर अधिनियम में धारा 271 (1)(क) के अंतर्गत जुर्माना और धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन पहले राजकोष के कारण करों से वंचित करने के लिए और बाद में किए गए अपराध/उल्लंघन के लिए, दोनों का निर्धारित किया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 1989 के धारा 271 (1)(क) के अंतर्गत जुर्माना का प्रावधान 01-04-1989 से हटा दिया गया और अधिनियम की धारा 234 क के अंतर्गत अनिवार्य ब्याज

लगाने का प्रावधान समाविष्ट किया गया था। लेकिन विधायिका ने आय के उल्लंघन या उसे प्रस्तुत नहीं करने के लिए अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन प्रावधानों को कभी भी माफ या शिथिल नहीं किया है।

18. अधिनियम की धारा 139, जैसा कि प्रासंगिक समय पर थी, इस प्रकार है-

धारा 139-(1) प्रत्येक व्यक्ति, यदि पिछले वर्ष के दौरान उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके सम्बंध में इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण योग्य है, उस अधिकतम राशि से अधिक हो गई है, जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है तो नियत दिनांक पर या उससे पूर्व अपनी आय या पिछले वर्ष के दौरान ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का रिटर्न निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें और निर्धारित तरीके से सत्यापित करें और ऐसे अन्य विवरण प्रस्तुत करें जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

स्पटीकरण- इस उपधारणा में नियत दिनांक का अर्थ है-

(क) जहां निर्धारिती एक कंपनी है, निर्धारण वर्ष के नवम्बर का 30 वां दिन

(ख) जहां निर्धारिती कंपनी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है-

(i) ऐसे मामलें में, जहां इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के अंतर्गत निर्धारिती के खातों का आॅडिट करना अपेक्षित है या जहां धारा

80 ज ज ग या धारा 80 ज ज घ के अंतर्गत किसी एकाउन्टेंट की रिपोर्ट करना अपेक्षित है या को-ऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में निर्धारण वर्ष का अक्टूबर का 31 वां दिन

(ii) ऐसे मामले में जहां इस उपधारा में निर्दिष्ट कुल आय में व्यवसाय या पेशे से कोई आय शामिल है, जो उपधारा (i) के अंतर्गत आने वाला मामला नहीं है, निर्धारण वर्ष के अगस्त का 31 वां दिन

(iii) किसी अन्य मामलें में निर्धारण वर्ष के जून का 30 वां दिन

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसने गत वर्ष में व्यापार या व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति के अंतर्गत या "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत नुकसान उठाया है और दावा करता है कि नुकसान या उसके किसी भाग को धारा 72 (1) के अंतर्गत अग्रसारित किया जाना चाहिए या धारा 73(2) या धारा 74(1) या (3) या धारा 274 क (3) के अंतर्गत वह अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारित प्रारूप में हानि का रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जा सकता है और इसमें ऐसे अन्य विवरण शामिल होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं और इस अधिनियम के सभी प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे यह उपधारा (1) के अंतर्गत रिटर्न था।

(4) कोई भी व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अंतर्गत उसे अनुज्ञात समय के भीतर या धारा 142(1) के अंतर्गत जारी नोटिस में अनुज्ञात समय के भीतर रिटर्न पेश नहीं किया है तो वह पिछले वर्ष का रिटर्न प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से एक वर्ष समाप्त होने से पूर्व या निर्धारण वर्ष पूरा होने से पूर्व, जो भी पहले हो, किसी भी समय पेश कर सकता है।

XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX

19. उपरोक्त प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि निर्धारिती के लिए नियत दिनांक से पहले रिटर्न पेश करना आज्ञापक है। उक्त धारा का स्पष्टीकरण (क) 'नियत दिनांक' शब्द को परिभाषित करता है जो निर्धारण वर्ष का 30 नवम्बर है। समय पर रिटर्न पेश नहीं करने का परिणाम भी अधिनियम में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा धारा 276 गग के क्षेत्र को समझने के लिए धारा 142 व 148 का संदर्भ भी आवश्यक है। धारा 142 का प्रासंगिक भाग, जैसा कि प्रासंगिक समय पर था, नीचे उद्धृत किया गया है -

धारा 142 - निर्धारण से पूर्व जांच (1) - इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए निर्धारण अधिकारी किसी भी व्यक्ति को उसमें निर्दिष्ट दिनांक के लिए नोटिस दे सकता है, जिसने धारा 139 के

अंतर्गत रिटर्न दिया है या जिसके मामले में उसके उपधारा (1) के अंतर्गत रिटर्न पेश करने के लिए समय अनुज्ञात किया गया है-

(i) जहां ऐसे व्यक्ति ने धारा 139(1) के अंतर्गत अनुज्ञात समय के भीतर अपनी या किसी अन्य कारित की आय का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए रिटर्न निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से सत्यापित कर तथा अन्य विववण देकर जाे निर्धारित किया जा सकता है, नहीं दिया है जिसके सम्बंध में वह इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण योग्य है,

या

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

20. धारा 148 नोटिस जारी करने काे संदर्भित करती है, जहां आय निर्धारण से बच गई है, इसका प्रासंगिक भाग संदर्भ के नीचे दिया गया है-

धारा 148-(1) निर्धारण अधिकारी धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण, पुननिर्धारण या पुनर्गणना करने से पूर्व एक नोटिस निर्धारिती को देगा जिसमें उसे ऐसी अवधि के भीतर, जो उसमें निर्धारित है, जो तीस दिन से कम नहीं होगा, अपने आय का रिटर्न या ऐसे अन्य व्यक्ति के आय का रिटर्न पेश करने के लिए होगा, जिसके सम्बंध में वह प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अनुरूप पिछले वर्ष के दाैरान इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण योग्य है, निर्धारित प्रारूप में तथा निर्धारित तरीके से सत्यापित किया गया

है, ऐसे अन्य विवरण देकर जैसा निर्धारित हो और जहां तक सम्भव हो, इस अधिनियम का प्रावधान तदुसार लागू होगा जैसे ऐसा रिटर्न धारा 139 के अंतर्गत पेश होने वाला रिटर्न था।

(2) निर्धारण अधिकारी इस धारा के अंतर्गत कोई नोटिस जारी करने से पहले ऐसा करने का अपना कारण अभिलिखित करेगा।

21. अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत धारा 139(1) और धारा 142 (1) (i) और धारा 148 का उल्लेख किया गया है। धारा 276 गग इस प्रकार है-

धारा 276 गग- आयकर रिटर्न पेश करने में विफलता- यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर नियत समय पर आय का रिटर्न पेश करने में विफल रहता है जिसे उसे धारा 139(1) के अंतर्गत या धारा 142 (1) (i) या धारा 148 के अंतर्गत दिए गए नोटिस के द्वारा प्रस्तुत करना अपेक्षित है वह दण्डनीय होगा-

(i) ऐसे मामले में जहां कर की राशि, जिसे विफलता का पता नहीं चलने पर बचा लिया गया होता, एक लाख रुपये से अधिक है, ऐसे अवधि के लिए कठोर कारावास, जो 06 माह से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 07 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना होगा।

(ii) किसी अन्य मामले में कारावास से, जिसकी अवधि 03 माह से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे 03 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना होगा।

परन्तु किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 139(1) के अंतर्गत नियत समय आय का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के लिए इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही नहीं किया जाएगा-

(i) 1 अप्रैल 1975 से पहले शुरू होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए या

(ii) 1 अप्रैल 1975 या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए, यदि-

(क) निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले उसके द्वारा रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है या

(ख) नियमित निर्धारण पर निर्धारित कुल आय पर उसके द्वारा देय कर, भुगतान किए गए अग्रिम कर, यदि कोई हो और स्रोत पर कटौती किए गए किसी भी कर से घटाकर तीन हजार रुपये से अधिक नहीं है।

22. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सोनारोम केमिकल्स प्रा.लि. व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2000) 242 आई.टी.आर. 39 (कर्नाटक) में धारा 276 गग की संवैधानिक वैधता को यह अवधारित करते हुए सही ठहराया गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं

करता है। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है, जो जानबूझकर आय का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है। न्यायमूर्ति विलबर फोर्स ने वेलिंगटन बनाम रेनाल्ड (1962) 40 टी.सी.209 में 'जानबूझकर विफलता' को स्पष्ट किया है कि करदाता को जो करना चाहिए था, उसे करने में कुछ जानबूझकर या आशयपूर्वक असफल रहना, यह जानते हुए कि ऐसा करने से चूक करना गलत था। निर्धारित नियत तारीख पर या उससे पहले अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न पेश करने के लिए बाध्य था। वर्तमान मामले में रिटर्न पेश करने के लिए निर्धारण वर्ष की 31 अगस्त की बाहरी सीमा तय की गई है, न केवल रिटर्न अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित नियत तारीख के भीतर पेश नहीं किया गया बल्कि अधिनियम की धारा 142 और 148 के अंतर्गत निर्धारित समय और इसके अलावा रिटर्न पेश करने के लिए दिए गए अतिरिक्त अवसर का भी लाभ नहीं उठाया गया।

23. धारा 276 गग उन स्थितियों पर लागू होती है, जहां एक निर्धारित अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत अपेक्षित आय का रिटर्न पेश करने में अथवा धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस का जवाब देने में असफल रहा है। धारा 276 गग का परन्तुक वास्तविक निर्धारितियों को कुछ अनुतोष देता है। धारा 276 गग का परन्तुक अभियोजन से बचने के लिए रिटर्न पेश करने के लिए निर्धारित वर्ष के अंत तक का अतिरिक्त समय देता है। दूसरे शब्दों में, भले ही धारा

139(1) के अनुसार नियत तारीख निर्धारण वर्ष की 31 अगस्त होगी, एक निर्धारिती को रिटर्न पूरा करने और पेश करने के लिए अतिरिक्त 07 महिने का समय मिलता है और विलम्ब से ही सही, ऐसा रिटर्न पेश किया जा सकता है, निर्धारिती पर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 276 गग के खण्ड (ii)(ख) के परन्तुक में भी यह प्रावधान है कि यदि नियमित निर्धारण के द्वारा निर्धारित देय कर भुगतान किए गए अग्रिम कर से कम हो गया है और स्रोत पर कर कटौती 3000 रुपये से अधिक नहीं है तो ऐसे निर्धारिती को अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न पेश नहीं करने के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप धारा 276 गग का परन्तुक उन वास्तविक निर्धारितियों का ध्यान रखता है, जो या तो विलम्ब से लेकिन निर्धारण वर्ष के अंत के भीतर रिटर्न पेश करते हैं या जिन्होंने प्री-पेड करों के माध्यम से अपने देय कर की पर्याप्त मात्रा का भुगतान किया है उन्हें अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन की कठोरता से बचाया जाता है।

24. यह नोट किया जा सकता है कि धारा 276 गग, धारा 139(1), धारा 142(1)(i) और धारा 148 शामिल करती है परन्तु धारा 276 गग का परन्तुक केवल धारा 139(1) को शामिल करती है और धारा 142(1)(i) या धारा 148 के प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। परिणामस्वरूप परन्तुक का लाभ केवल धारा 139(1) के अंतर्गत अपेक्षित स्वैच्छिक रूप से रिटर्न पेश करने के लिए उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, रिटर्न पेश करने में विफलता

का पता चलने के बाद और धारा 142 (1) (i) या धारा 148 के अंतर्गत आय रिटर्न पेश करने के लिए नोटिस जारी होने के बाद परन्तुक लागू नहीं होगा, इसलिए परन्तुक में धारा 142 या 148 के अंतर्गत विफलता का पता लगाने या नोटिस जारी करने से पहले भी विलम्ब से रिटर्न पेश करने की परिकल्पना की गई है।

25. इस सम्बंध में हम धारा 139(4) का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें विधायिका ने 'जो भी पहले हो' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। धारा 139(1) और धारा 142 (1) दोनों को धारा 139(4) में संदर्भित किया गया है, जो समय सीमा निर्दिष्ट करती है। इसलिए अभिव्यक्ति 'जो भी पहले हो' को समय के साथ पढ़ा जाना चाहिए यदि धारा 139(1) के अंतर्गत अनुमति दी गई है या धारा 142(1) के अंतर्गत जारी नोटिस के अंतर्गत अनुमति दी गई है, जो भी पहले हो। जहां तक वर्तमान मामले का सम्बंध है, यह पहले ही देखा गया है कि निर्धारिती ने या तो धारा 139(1) के अंतर्गत अनुज्ञात समय के भीतर या धारा 142 (1) के अंतर्गत जारी नोटिस में अनुज्ञात समय के भीतर रिटर्न पेश नहीं किया है।

26. हमने स्पष्ट किया है कि अपीलकर्ताओंके द्वारा रिटर्न पेश करने में विफलता पर आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन किया और बाद में अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन शुरू करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी

किए गए। धारा 276 गग के परन्तुक में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि धारा 276 गग के अंतर्गत अपराध उस परन्तुक के दायरे में आने वाले निर्धारितियों की श्रेणी के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, यह केवल यह प्रावधान करता है कि परन्तुक के अधीन विशिष्ट परिस्थितियों में अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है। एक निर्धारिती, जो परन्तुक के खंड 2(ख) के अंतर्गत आता है, उसने निःसंदेह धारा 276 गग के अंतर्गत भी अपराध किया है लेकिन उसे अभियोजन से छूट दी गई है क्योंकि कर 3000 रूपये से कम है। ऐसा निर्धारिती पता चलने से पहले विलम्बित रिटर्न पेश कर सकता है और परन्तुक का लाभ उठा सकता है। परन्तुक मुख्य धारा को नियंत्रित नहीं कर सकता है, यह केवल कुछ श्रेणी के निर्धारितियों को कुछ लाभ प्रदान करता है। संक्षेप में धारा 276 गग के अंतर्गत अपराध धारा 139(1) के प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहने पर या धारा 142 या 148 के अंतर्गत जारी नोटिस का उसमें विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर जवाब देने में विफल रहने पर लागू होता है।

27. हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि उपरोक्त विचार प्रकाशनाथ खन्ना के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के समर्थन में हैं। जब हम उपरोक्त सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हैं, तो अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि उनकी रिटर्न पेश करने में कोई जानबूझकर विफलता नहीं हुई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और

तथ्यों के अनुसार इन सभी अपीलों में अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अपराध बनना पाया गया है और उन्मोचन के लिए प्रार्थनापत्र की अस्वीकृति में इस न्यायालय के द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

28. हमें अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई आधार नहीं मिला कि अपीलीय कार्यवाही का लम्बित होना अधिनियम की धारा 276 गग के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। धारा 276 गग के अंतर्गत यह माना गया है कि रिटर्न पेश नहीं करने पर अपराध किया जाता है और यह निर्धारण कार्यवाही की लम्बितता से पूरी तरह से असम्बंधित है, अपराध की सजा के निर्धारण के लिए अपराध के दूसरे भाग को छोड़कर, विभाग उल्लंघन की सीमा निर्धारित करने के लिए पिछले वर्षों के सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन या अन्यथा सहारा ले सकता है, हमारे विचार में, धारा 276 गग की भाषा और विधायी आशय भी स्पष्ट है। यह पुरानी विधि है, जैसा कि पहले इस न्यायालय के द्वारा बी.परमानन्द बनाम मोहन कोईकल (2011) 4 एस.सी.सी. 286 में अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी संविधि में प्रयुक्त भाषा विधायी आशय का निर्धारक कारक है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी न्यायालय ऐसे सांविधिक प्रावधान में कुछ भी पढ़ नहीं सकती है, जो सामान्य और असंदिग्ध हो। यदि विधायिका का आशय अपील के माध्यम से या अन्यथा निर्धारण कार्यवाही पूरी होने तक

अभियोजन कार्यवाही को रोकना होता तो धारा 276 गग में ही प्रावधान किया गया होता। इसलिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ता का यह तर्क उत्पन्न नहीं होता है कि, निर्धारण कार्यवाही के समाप्ति तक कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे मामले में, जहां अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार रिटर्न पेश नहीं किया है या धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस की अनुपालना नहीं किया।

29. हमारा यह भी मत है कि भागीदारों के द्वारा व्यक्तिगत रिटर्न में की गई घोषणा या कथन कि, फर्म के खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए फर्म के द्वारा कोई रिटर्न पेश नहीं किया गया है, फर्म को अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत वैधानिक रिटर्न पेश करने से मुक्त नहीं किया जाएगा। फर्म को स्वतंत्र रूप से रिटर्न पेश करने की आवश्यकता है और केवल इसलिए कि धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन किया गया है, अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार रिटर्न पेश करने के लिए फर्म का दायित्व समाप्त नहीं होगा। अपीलकर्ताओका यह तर्क कि चूंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत रिटर्न में उल्लेख किया था कि फर्म के खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, इसलिए कोई रिटर्न पेश नहीं किया गया, इसका अर्थ यह होगा कि रिटर्न पेश करने में विफलता जानबूझकर नहीं की गई थी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

30. धारा 278 ड सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा से सम्बंधित है, जिसे कराधान विधि (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम 1986 द्वारा समाविष्ट किया गया था। प्रश्न यह है कि किस पर या तो अभियोजन पर या निर्धारिती पर धारा 278 ड के अंतर्गत यह साबित करने का भार है कि क्या निर्धारिती ने रिटर्न पेश करने में जानबूझकर विफलता किया या नहीं किया। न्यायालय के अपराध जैसे धारा 276 गग के अभियोजन में दुराशय के अस्तित्व की उपधारणा करना है, और अभियुक्त को इसके विपरीत साबित करना है और वह भी संदेह से परे साबित करना है। परिणास्वरूप अपीलकर्ताओको उन परिस्थितियों को साबित करना है, जिसने उन्हें धारा 139(1) के अनुसार रिटर्न पेश करने से या धारा 142 और धारा 148 के अंतर्गत नोटिस का जवाब देने से रोका।

31- इसलिए हम उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। इसलिए अपीलों में गुणावगुण का अभाव है और उसे खारिज किया जाता है और अपराधिक न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण को इस निर्णय को प्राप्त होने की दिनांक से 04 माह में पूर्ण करे।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवाल' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मधुसूदन राय (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।